



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India



वेबसाइट : <https://dicgc.org.in/hindi/>

Website: www.dicgc.org.in

ई-मेल/email : dicgc@rbi.org.in

June 24, 2025

Deposit Insurance Scheme, 1961-Cancellation of Registration- HCBL Co-operative Bank Ltd., Lucknow.

जमा बीमा योजना, 1961- पंजीकरण रद्द करना - एचसीबीएल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ

The Reserve Bank of India (RBI), vide order DOR.MON/LC-02/12-21-039/2025-26 dated May 19, 2025, has cancelled the license of **HCBL Co-operative Bank Ltd., Lucknow.**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 मई 2025 के आदेश द्वारा **एचसीबीएल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ** का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

2. Consequently, the registration of the bank with Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) stands cancelled with effect from May 19, 2025.

परिणामस्वरूप, बीमित बैंक के रूप में बैंक का पंजीकरण 19 मई 2025 की तारीख को रद्द कर दिया गया है।

3. Please note that in terms of Section 16 of the DICGC Act, the Corporation is liable to pay to every depositor of **HCBL Co-operative Bank Ltd., Lucknow.** an amount equal to the amount due to him in respect of his deposit in that bank at the time when such order is made i.e., May 19, 2025, provided that the total amount payable by the Corporation to any one depositor in respect of his deposits as on the date of the cancellation of the registration of the bank shall be limited to ₹ 5 lakhs in the same capacity and in the same right.

कृपया नोट करें कि डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, निगम बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता को, उस समय जब इस प्रकार का आदेश दिया जाता है अर्थात् 19 मई 2025 को उस बैंक में उसकी जमा राशि के संबंध में उसे देय राशि के बराबर धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते कि बैंक

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India



वेबसाइट : <https://dicgc.org.in/hindi/>

Website: www.dicgc.org.in

ई-मेल/email : dicgc@rbi.org.in

के पंजीकरण को रद्द करने की तारीख पर निगम द्वारा किसी जमाकर्ता को उसकी जमा राशि के संबंध में देय कुल राशि, समान क्षमता और समान अधिकार में ₹ 5 लाख तक सीमित होगी।

एन. अरुण विष्णु कुमार
निदेशक (ई)

प्रेस विज्ञप्ति: 2025-2026/07